



कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी (म.प्र.)



कार्यालय दूरभाष नं.- 7692-299699

ई-मेल-seonimedicalcollege@gmail.com

वेबसाइट- www.gmcseoni.org

क्र. 2362/स्था/जीएमसी/2025

सिवनी, दिनांक 29/11/2025

“आदेश”

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के तहत जारी समूह 05 के अन्तर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु जिला स्तरीय सीधी पदों हेतु बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के प्राप्त आवेदनो की स्कूटनी के आधार पर तैयार मेरिट के आधार पर डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के पद पर वेतनमान 15,500/- (सातवें वेतनमान का लेवल-01) पर नीचे दी गई तालिका अनुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

S.No.	Name of the Candidate	Father's Name	Allotted Cat/Class	Correspondence Address
1	2	3	4	5
1	DASHRATH KHAMARIYA	PUNU	ST/NIL/OPEN	HOUSE NO. 05 GHANA KODIYA 480559, PUNAMLI DHANA KODIYA, TAMIA CHHINDWARA

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- असत्य/कूटरचित अभिलेख पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर विधि अनुसार कार्यवाही संस्थित की जावेगी।
- नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी को सिवनी जिले के जिला चिकित्सा मण्डल (मेडिकल बोर्ड) के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2023 के नियम 13 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर होगी।
- परीक्षा अवधि में संबंधित पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन देना प्रारंभ किया जावेगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-6 अनुसार उल्लेखित अनर्हताएं पाए जाने की दशा में यह नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी) सेवा नियम, 1960 के नियम 12(ए) के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर समाप्त की जा सकेंगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त शर्त के उल्लंघन पर शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
- नियुक्त अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2005 लागू होंगे।
- कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक नियुक्त अभ्यर्थी को वचन देना होगा कि उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में नैतिक पतन का प्रकरण विचाराधीन नहीं है और ना ही किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। भविष्य में ऐसे प्रकरण दर्ज होने की जानकारी संज्ञान में आने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
- यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप सेवा के अयोग्य पाए जाएं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ.सी. 3-15/2012/1/3, दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- पूर्व से अन्यत्र शासकीय/स्वशासी/निगम/मण्डल/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग-पत्र अथवा सेवारत न रहने की दशा में स्वघोषित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी पर अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश बंधनकारी होंगे।

निरन्तर.....02

निरन्तर.....02



प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

पृ.क./स्था0/अराज/2025/2362
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी
2. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर।
3. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संभागायुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, म.प्र.।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-सिवनी।
7. जिला मेडिकल बोर्ड, जिला सिवनी म.प्र.।
8. स्थानीय कार्यालय, लेखा/भवन शाखा।
9. श्री/श्रीमति/कु.पता.....

की ओर प्रेषित कर लेख है कि 15 दिवस के भीतर अधिष्ठाता कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी (म0प्र0)
सिवनी, दिनांक 28/08/2025
अधिष्ठाता

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी (म0प्र0)
अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी